हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 104

शुक्रवार, 27 मार्च, 2026/6 चैत्र, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे (पूर्वाह्न) आरम्भ हुई।

प्रश्न काल आरम्भ होने से पहले ही **नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर** ने 'व्यवस्था का प्रश्न' के माध्यम से माननीय सदन में अपनी बात रखने के लिए अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया परन्तु माननीय अध्यक्ष ने प्रश्न काल की महत्ता को मध्यनजर रखते हुए उन्हें स्वीकृति प्रदान नहीं की और प्रश्न काल आरम्भ कर दिया।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या : 3810 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 4091, 4093, 4095, 4097, 4099, 4100, 4102, 4104, 4106, 4107, 4108, 4109, 4111, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123,4124, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133 पर माननीय सदस्यों द्वारा कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्याः 4092, 4094, 4096, 4098, 4103, 4105, 4110, 4115, 4118, 4125 व 4134 पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1620 से 1629 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि एक नई परम्परा की शुरूआत हो गई है कि प्रश्न काल से पहले ही माननीय नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों से उठकर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मांगने लग जाते हैं। ऐसा करने से एक गलत परम्परा शुरू हो जाएगी। इसलिए अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय प्रश्न काल के बाद ही प्वाइंट ऑफ ऑर्डर दें। इस बारे में व्यवस्था दी जाए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

"प्रश्न काल चला है, विपक्ष के माननीय सदस्य प्रोटैस्ट स्वरूप बैल में आए but that is not the part of record. प्रश्नकाल के दौरान जो-जो माननीय सदस्य अपनी सीटों पर थे उन्होंने अपने-अपने प्रश्न पूछे और उनका उत्तर भी आया है। The remaining part, whatever happened within the House, either in the Well, in the shape of slogans, that is not a part of the record and this will not go on the YouTube from the official website. If any Member will circulate it from his own handle, certainly Vidhan Sabha will take actions as per the rules."

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में हिम केयर योजना के सम्बन्ध में गलत आंकड़े पेश करते हुए कहा कि इस योजना में 1100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और ये भी कहा कि एक मेडिकल कॉलेज में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वे इस प्रकार अपनी बात रखते हैं जैसे समरहिल के चौक में खड़े होकर बोल रहे हों। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन में और सदन के बाहर दिए गए बयानों में अंतर होता है, जोकि सत्य पर आधारित नहीं होते। वे हिम

केयर योजना को बन्द करने से पहले ही विपक्ष और इस योजना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस योजना को लेकर कोई जाँच हुई ही नहीं है तो घोटाले की बात माननीय मुख्य मंत्री कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में रोगी राज्य के बाहर केवल तीन अस्पतालों में इस योजना का लाभ उठाने के लिए अधिकृत थे। इस योजना में पूर्व सरकार के बजाय वर्तमान सरकार ने ज्यादा खर्च किया है। क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसकी भी जांच करवाएंगे। हिम केयर योजना के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के माध्यम से निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 1100 करोड़ रूपये का आंकड़ा पेमेंट से सम्बन्धित है जबकि उन्होंने 100 करोड़ रुपये के घोटाले की बात कही है। वे उसकी विजिलैंस से जाँच करवा रहे हैं। जहां भी घोटाले होंगे उसकी जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हिम केयर योजना में घोटाले के तथ्य इंटर्नल ऑडिट में सामने आए हैं।

माननीय अध्यक्ष ने विपक्ष को स्पष्ट किया कि माननीय मुख्य मंत्री ने कह दिया है कि 100 करोड़ रुपये के घोटाले सामने आए हैं। अगर कहीं पर इन्होंने 1100 करोड़ रुपये बोले हैं तो वह स्लिप ऑफ टंग की वजह से बोला गया है और वह इस कार्यवाही का पार्ट नहीं बनेगा।

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अखबारों में तो ये घोटाले की बात की गई। अभी तक इस मामले में जांच होनी है तो फिर मा0 मुख्य मंत्री कैसे निष्कर्ष पर पहुंच गए कि 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इन्होंने जालंधर और लुधियाना के अस्पतालों के नाम भी इस योजना के साथ जोड़े हैं जोकि गलत है। उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है कि केवल तीन ही अस्पताल राज्य के बाहर इस योजना के लिए अधिकृत थे। वे मुख्य मंत्री से चाहेंगे कि सदन में उनके द्वारा की गई गलत बयानबाजी को, जिसे अखबारों ने छाप दिया है, के बारे में माफी मांगे। साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि क्या वे हिम केयर योजना को बन्द करने जा रहे हैं या नहीं।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि अभी इंटर्नल ऑडिट की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह घोटाला उजागर हुआ है। यदि हिम केयर योजना की जगह कोई अच्छी योजना होगी तो सरकार उसे भी लागू करेगी।

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो आंकड़ा मा0 मुख्य मंत्री ने बताया, वह अखबार और मीडिया ने छाप दिया है और फ्रंट पेज पर स्टेटमेंट लगी है। क्या वह अब करेक्ट हो जाएगा? लेकिन जिसको नुकसान होता है, वह तो हो ही जाता है। इसको रिपेयर करने का क्या मैकेनिज्म है?

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा सचिवालय इस बात की छानबीन करेगा कि क्या कोई ऐसा आंकड़ा रिकॉर्ड पर आया है जिसे किसी समाचार पत्र ने उस प्रकार से छापा है। आज मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अगर कोई ऐसा आंकड़ा आया है तो उसको करेक्ट कर लिया जाए। यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपये है। वे रिकॉर्ड व समाचार पत्र दोनों को देखेंगे और इस माननीय सदन को भी सूचित करेंगे।

शून्य काल

1. **श्री रणधीर शर्मा, सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत मजारी गांव में कृषि विभाग के मार्केटिंग बोर्ड की मार्केट कमेटी बिलासपुर द्वारा निर्मित अनाज मंडी को सुचारु रूप से चलाने का मुद्दा सदन में उठाया ताकि इसके द्वारा किसानों के गेहूं की खरीद की जा सके और उन्हें लाभ मिले।

   माननीय अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित रुप से एक गंभीर विषय माननीय सदस्य के द्वारा माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है और वे विभाग से कहेंगे कि इस विषय के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य और माननीय सदन को अवगत करवाया जाए।

<u>अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था</u>

"I would request all the Hon'ble Members not to approach the Dais directly. If they have any clarification or confusion, then they first approach the Secretary. If that confusion is not removed, then they are allowed to come to the Dais; otherwise, I am not allowing anybody unless I permit to come to the Dais"

2. **श्री हरदीप सिंह बावा, सदस्य** ने नालागढ़ से बगलिहार राष्ट्रीय राजमार्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि हाल ही में की गई टारिंग जगह-जगह से उखड़ गई

है और स्किडिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका निर्माण करते समय मानकों की अनदेखी की गई है। उन्होंने माननीय लोक निर्माण मंत्री से आग्रह किया कि क्वालिटी ऑफ वर्क कम्प्रोमाइज न हो, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए जाएं।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य ने शून्य काल के माध्यम से एक गंभीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया है जिसका संज्ञान लिया गया है। वे संबंधित विभाग को निर्देश देंगे कि इस विषय पर तुरंत कार्रवाई की जाए और कृत कार्रवाई से माननीय सदन और सदस्य को सूचित किया जाए। वे सचिव, विधान सभा को कहेंगे कि जो आज की सूची का एजेंडा निर्धारित है, उसकी प्रतिलिपि अपने पास रखें और जो भी माननीय सदस्य आएं उनकी समस्या का समाधान करें।

3. **श्री लोकेन्दर कुमार, सदस्य** ने कुरपन वैली के बागीपुल क्षेत्र में प्रस्तावित एक मैगावॉट लघु जल विद्युत परियोजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस परियोजना के निर्माण कार्य को लेकर सम्बन्धित कम्पनी एवं स्थानीय ग्रामीणों के बीच गंभीर विरोध एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण किसान-बागवानों को पानी की बहुत कमी हो जाएगी। यहां लगे घराट के साथ-साथ लगभग तीन से चार सौ बीघा जमीन प्रभावित हो जाएगी जिसका समय रहते समाधान निकालना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर माननीय सदन के ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाया गया है। माननीय सदन ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। इस विषय पर कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएंगे और की गई कार्रवाई से माननीय सदन और सदस्य को सूचित किया जाएगा।

<u>अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था</u>

"मैं विधान सभा सचिवालय को कहूंगा कि आज के बाद शून्य काल के जो विषय माननीय सदस्य माननीय सदन में रखते हैं, उनकी एक-एक प्रतिलिपि उन तमाम माननीय सदस्यों को भी उपलब्ध करवाई जाए जिन्होंने शून्य काल में अपने विषय सदन में रखे हैं। From today onwards, every Member will be supplied with a copy of the Zero Hour issue by the Vidhan Sabha Secretariat, so that no complaints arise about which issues are registered, which are not, and which are taken up."

2. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 तथा नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (डीपीसी) अधिनियम 1971 की धारा-19ए के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटिड का 16वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25।

(2) डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23(6) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2025-26**) ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का **133वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **64वें मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पशु पालन विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **125वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) पर बने **181वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **पशु पालन विभाग** से सम्बन्धित है;

(3) समिति का **107वां मूल प्रतिवेदन** (षष्टम् विधान सभा) पर बने **245वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(4) समिति का **95वां मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) पर बने **251वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2025-26) ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

1. समिति का **32वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **67वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम व हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

2. समिति का **74वाँ मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) पर बने **43वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में अन्तर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2025-26) ने समिति का **47वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** जोकि **माँग संख्या :32अनुसूचित** -) **जाति विकास कार्यक्रमSCDP**) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-की 25 चौदहवीं विधान) **18वें मूल प्रतिवेदन** अनुदान मांगों से सम्बन्धित समिति के 2023 वर्ष) (सभा-24) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।

सदन का समय बचाने के लिए **माननीय मुख्य मंत्री** की ओर से बजट अनुमान 2026-27 की सभी अनुदान मांगें प्रस्तुत हुई समझी गईं।

मांग संख्याः 7 (पुलिस और सम्बद्ध संगठन)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 7 –पुलिस और सम्बद्ध संगठन के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर- 3 में दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः 17,48,38,69,000/- और 3,38,00,000/- संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्या : 7 पर सर्वश्री जय राम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, बिक्रम सिंह, सुधीर शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा, त्रिलोक जम्वाल, लोकेन्दर कुमार और आशीष शर्मा जी की ओर से माननीय सदस्यों की ओर से तीन कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

(**01.12 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.10 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।**)

(भोजनावकाश के उपरांत 2.20 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

2. श्री विपिन सिंह परमार, सदस्य
3. श्री बिक्रम सिंह, सदस्य
4. श्री सुधीर शर्मा, सदस्य (अनुपस्थित)

5. श्री सतपाल सिंह सत्ती, सदस्य
6. श्री रणधीर शर्मा, सदस्य
7. श्री त्रिलोक जम्वाल, सदस्य
8. श्री लोकेन्दर कुमार, सदस्य
9. श्री आशीष शर्मा, सदस्य

माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वे इसके बारे में अधिक चर्चा नहीं करना चाहते।

माननीय उद्योग मंत्री ने अपने विभाग से सम्बन्धित विषय पर स्पष्टीकरण दिया।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"In view of the objection which has been raised by the Hon'ble Chief Minister, the matter is sub-judice regarding your case, which you are referring here. This will not form part of record. You can only speak on Cut Motions in view of the general Law & Order situation, not specifically on your own case. विधान सभा के रूल्ज यह बोलते हैं कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसकी यहां चर्चा नहीं हो सकती। So, I am not allowing you to discuss this issue and whatever you have discussed about it that will not form part of the record."

(**04.37 बजे अपराह्न विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो कर नारेबाजी करते रहे।**)

नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि जब कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है तो स्वाभाविक रूप से माफियाराज, हत्याओं, बलात्कार और नशे के कारोबार इत्यादि विषयों पर चर्चा होगी। जिन तमाम विषयों पर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई होगी तो उन पर कार्रवाई भी हो रही होगी। कुछ

मामले माननीय न्यायालय में विचारधीन भी होंगे। कुल मिलाकर ये सब मामले सब-ज्यूडिस हैं तो क्या इन मामलों पर यहां चर्चा नहीं कर सकते?

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

"मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि विधान सभा के नियमों के अनुसार जो मैटर्ज़ सब-जुडिस हैं उनको हाउस में चर्चा में नहीं लाया जा सकता। "

माननीय मुख्य मंत्री ने कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिय।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

मांग संख्याः 9 (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 9 —स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर-3 में दर्शाई गई धनराशियां 27,04,54,01,000/- और 35,19,14,000/- संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्या : 9 पर सर्वश्री जय राम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, अनिल शर्मा, बिक्रम सिंह, सुख राम चौधरी, डॉ0 हसं राज, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, विनोद कुमार, रणधीर शर्मा, बलबीर सिंह वर्मा, सुरेन्द्र शौरी, राकेश जम्वाल, इन्द्र सिंह, प्रकाश राणा, जीत राम कटवाल, श्रीमती रीना कश्यप, पूर्ण चन्द ठाकुर डॉ0 जनक राज, लोकेन्द्र कुमार, दीप राज, दलीप ठाकुर, त्रिलोक जम्वाल और पवन काजल माननीय सदस्यों की ओर से तीन कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री जय राम ठाकुर, माननीय नेता प्रतिपक्ष (क्रमागत)

5.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****